



शान हो, सम्मान हो, अभिमान हो

महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं जागरूकता  
अभियान तथा कौशल क्षमता विकास प्रशिक्षण

खण्ड-3

महिला कौशल एवं उद्यमिता विकास

सबल-सफल-सुरक्षित



सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ.प्र.





**CM Helpline**

 **1076**

**CALL 108**

**EMERGENCY**

• MEDICAL • POLICE • FIRE

**CALL 102**

**AMBULANCE**

• PREGNANCY • INFANT • DROP BACK



**CHILD  
LINE**

**1098**  
NIGHT & DAY



**1090**



**Women Power Line**

**UTTAR PRADESH**



**112**

**EMERGENCY**

**FIRE  
STATION**

**101**

**ELDER LINE**

NATIONAL HELPLINE FOR SENIOR CITIZENS



*Call Toll-Free*

**14567**



# विषय सूची

क्रम	विवरण	पृष्ठ सं.
1	उत्तर प्रदेश सरकार की पहल: महिलाओं के लिए ई-रिक्शा चलाने का प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधा	4
2	ई-रिक्शा प्रशिक्षण	5
3	अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न	13
4	मुद्रा ऋण क्या है?	19



# उत्तर प्रदेश सरकार की पहल: महिलाओं के लिए ई-रिक्शा चलाने का प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधा

ई-रिक्शा एक बिजली से चलने वाला, तीन पहियों वाला वाहन है जिसका मुख्य रूप से वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए यात्रियों और सामानों के परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है। ई-रिक्शा को इलेक्ट्रिक टुक-टुक और टोटो के नाम से भी जाना जाता है। यह वाहन को चलाने के लिए एक बैटरी और एक विद्युतीकृत पावरट्रेन का उपयोग करता है।

ई-रिक्शा चलाने को एक पुरुष प्रधान पेशा माना जाता था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार उस धारणा को बदलना चाहती है। सरकार 2,000-3,000 रुपये प्रति माह के मामूली वेतन में काम करने वाली महिलाओं को प्राथमिकता देने की प्रयासरत है। इस कार्यक्रम में 18 से 45 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि वे काम की परिस्थितियों के अनुकूल हो सकती हैं और चीजों को जल्दी उठा सकती हैं, सरकार 3 दिवसीय प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करती है जहां महिलाओं को सिखाया जाता है कि ई-रिक्शा, यातायात और सुरक्षा नियमों को कैसे चलाना है, और रिक्शा को कैसे बनाए रखना है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पर्यटकों के साथ बातचीत करने के लिए सॉफ्ट स्किल्स और संचार तकनीक भी सिखाया जायेगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिलाओं को विभिन्न मार्गों को समझाने में मदद की जाती है, जीपीएस सिस्टम का उपयोग कैसे करें और डिजिटल बैंकिंग की मूल बातें भी सिखायी जाएगी।

गुलाबी ई-रिक्शा को फोल्ड करने योग्य छत, मोबाइल चार्जर सॉकेट, पानी की बोतल भंडारण और यात्री सामान के लिए लॉकर शामिल करने के लिए संशोधित किया गया है। यात्रियों और चालकों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ई-रिक्शा में पूर्व-पहचाने मार्गों वाला एक ऐप है।

उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं को ई-रिक्शा चलाने में सक्षम बनाने के लिए कड़े कदम उठा रही है। कोविड-19 महामारी ने भारतीय इलेक्ट्रिक रिक्शा बाजार के विकास को प्रभावित किया, क्योंकि लॉकडाउन और संक्रमण हॉटस्पॉट में कर्फ्यू जैसी स्थितियों ने सार्वजनिक परिवहन की मांग को काफी हद तक कम कर दिया। हालांकि, महामारी के बाद, स्थिति सामान्य हो गई, और मोटर वाहन उद्योग ने इलेक्ट्रिक रिक्शा की मांग में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी, जो सहायक सरकारी नीतियों और बाजार में लागत के अनुकूल मॉडल की उपलब्धता से समर्थित थी। मध्यम अवधि में, प्रदूषण पर बढ़ती चिंताओं और कड़े उत्सर्जन नियमों में वृद्धि ने देशों को और अधिक इलेक्ट्रिक रिक्शा शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसने पूर्वानुमान अवधि के दौरान बाजार के लिए बड़ी वृद्धि की है।

भारत सरकार सार्वजनिक परिवहन और बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है, दोपहिया और तिपहिया वाहनों, टैक्सियों और बसों पर जोर देती है। परिवहन की कम लागत, रिक्शा की सस्ती कीमत, और भीड़भाड़ वाली शहरी सड़कों पर लचीलापन, रिक्शा के कुछ फायदे हैं, जो देश भर में उनकी मांग को बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा, कड़े उत्सर्जन मानदंड, ईंधन की बढ़ती कीमतें, ई-रिक्शा के लिए प्रोत्साहन, और ई-रिक्शा की बढ़ती रेंज ई-रिक्शा की ओर उपभोक्ता वरीयता को स्थानांतरित कर रहे हैं। इसके अलावा, ईंधन से चलने वाले वाहनों पर संभावित प्रतिबंध से ई-रिक्शा की मांग बढ़ने की संभावना है। टीयर -1 शहरों, टीयर -2 शहरों और ग्रामीण-शहरी परिधि में इन रिक्शा की बढ़ती मांग के कारण पूर्वानुमान अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के भारत में सबसे बड़ा ई-रिक्शा बाजार होने की उम्मीद है।



# ई-रिक्शा प्रशिक्षण

**ई-रिक्शा के लिए  
लाइसेंसिंग/पंजीकरण/फिटनेस के लिए  
प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश/ई-रिक्शा चलाने में  
निर्देश प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम**

1. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 08.09.2014 की अधिसूचना जीएसआर 709 (ई) के माध्यम से ई-रिक्शा और ई-कार्ट को परिवहन वाहनों की अलग-अलग श्रेणियों के रूप में अधिसूचित किया है। वाट, जिसमें माल या यात्रियों को ले जाने के लिए तीन पहिए हों, जैसा कि मामला किराए या इनाम के लिए हो सकता है, चालक को छोड़कर 04 से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए निर्मित, या अनुकूलित किया जा सकता है, और कुल मिलाकर 40 किलोग्राम से अधिक सामान नहीं है, इस संबंध में निर्धारित विनिर्देश के अनुसार सुसज्जित और बनाए रखा जा सकता है और वाहन की अधिकतम गति पच्चीस किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं है।
2. ई-रिक्शा को मोटर वाहन अधिनियम के तहत अलग श्रेणी के रूप में बनाया गया है और इसे मैनुअल श्रम वाले रिक्शा को बदलने, गरीब मैनुअल रिक्शा चालकों के लिए सम्मानजनक आजीविका के अवसर पैदा करने और स्वच्छ ईंधन वाले, किफायती वाहनों की आवाजाही की सुविधा प्रदान करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है जो अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान कर सकते हैं। यह महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों को सार्थक रोजगार में संलग्न होने के अवसर प्रदान करने में भी मदद करेगा।
3. ई-रिक्शा या ई-कार्ट एक नई वाहन श्रेणी है जिसे तीन पहिया ऑटो रिक्शा या इसी तरह के किसी अन्य वाहन के साथ समूहीकृत नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि

इन वाहनों का उद्देश्य अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इन वाहनों को संचालित करने के लिए पात्र व्यक्तियों को सड़क यातायात नियमों और संकेतों में प्रशिक्षण और ऐसे वाहन चलाने की आवश्यकता होती है।

4. दिनांक 08.10.2014 की अधिसूचनाओं जीएसआर 709 (ई), दिनांक 13.01.2015 की जीएसआर 27 (ई), दिनांक 08.10.2014 की एसओ 2590 (ई), दिनांक 17.06.2015 की अधिसूचनाओं के अनुसरण में जीओ एलएमएस संख्या एल/एफआईआर संप्रदाय/2015 और पुडुचेरी सरकार द्वारा दिनांक 2015 की अधिसूचनाओं के अनुसरण में ई-रिक्शा का संचालन शुरू करने का निर्णय लिया गया था। इन गैर-प्रदूषणकारी बैटरी संचालित वाहनों को केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में सभी मोटर योग्य सड़कों पर संचालित करने का प्रस्ताव है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अध्याय V के तहत केवल उन्हीं वाहनों को पंजीकृत करने का निर्णय लिया गया है जो ऐसे वाहनों के चालकों के स्वामित्व में हैं/ पंजीकृत मालिक जो वैध ई-रिक्शा लाइसेंस रखने वाले व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं।
5. उपर्युक्त के परिणामस्वरूप और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इसी तरह के ई-रिक्शा को जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर, परिवहन विभाग, पुडुचेरी ने ई-रिक्शा चलाने के लिए लाइसेंस देने, बैज प्रदान करने, फिटनेस प्रमाण पत्र और ई-रिक्शा के पंजीकरण के लिए निम्नलिखित प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश बनाए हैं। यह निर्णय लिया गया है कि आवेदक अपेक्षित दस्तावेजों के साथ लाइसेंसिंग प्राधिकरण / पंजीकरण प्राधिकरण के पास आवेदन करेगा जिसके अधिकार क्षेत्र में वह रहता है।



### A. ई-रिक्शा चलाने के लिए लर्नर लाइसेंस प्रदान करना

- फॉर्म -1 में शारीरिक फिटनेस के रूप में आवेदन-सह-घोषणा।
- फॉर्म -1 ए में एक चिकित्सा प्रमाण पत्र।
- फॉर्म -2 में लर्नर लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन
- निवास का प्रमाण।
- उम्र का सबूत
- आवेदक की आयु 20 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
- C.I\ X.V R 1989 के नियम-32 में विनिर्दिष्ट उपयुक्त शुल्क
- धारा 7 की उपधारा (1) अर्थात "किसी भी व्यक्ति को परिवहन वाहन चलाने के लिए शिक्षार्थी का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास कम से कम एक वर्ष के लिए हल्का मोटर वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस न हो" ई-रिक्शा पर लागू नहीं होता है (एमवी अधिनियम 1988 में संशोधन के अनुसार, 20.03.2015 तक)

**नोट:** किसी भी आवेदक को तब तक कोई लर्नर लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि वह लाइसेंसिंग प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए पास न हो जाए, ऐसी परीक्षा जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती है।

### (B) ई-रिक्शा चलाने के लिए स्थायी लाइसेंस प्रदान करना

लर्नर लाइसेंस जारी होने के 30 दिनों के बाद और इसकी समाप्ति से पहले, आवेदक लाइसेंसिंग प्राधिकरण के पास आवेदन कर सकता है जिसके अधिकार क्षेत्र में वह रहता है और उसके साथ विधिवत रूप से भरे गए निम्नलिखित दस्तावेज/प्रपत्र होंगे।

- फॉर्म-4 में ई-रिक्शा चलाने के लिए लाइसेंस देने के लिए आवेदन।
- एक प्रभावी शिक्षार्थी लाइसेंस (मूल)।
- सीएमवीआर 1989 के नियम -32 में निर्दिष्ट उपयुक्त शुल्क
- पंजीकृत ई-रिक्शा या ई-कार्ट एसोसिएशन, या ई-रिक्शा या ई-कार्ट का उत्पादन करने वाले निर्माता द्वारा जारी अद्वितीय सीरियल नंबर वाला प्रमाण पत्र, जैसा कि मामला हो सकता है कि आवेदक ने जीएसआर 27 (ई) दिनांक 13.01.2015

**नोट** के रूप में कम से कम दस दिनों की अवधि के लिए प्रशिक्षण लिया हो। एक ई-रिक्शा के साथ आना होगा जिसमें आगे और पीछे दोनों सफेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग में प्लेट / कार्ड पर "एल" अक्षर चित्रित हो।

a. सीएमवीआर 1989 के नियम 15 में निर्धारित योग्यता की परीक्षा के सफल उत्तीर्ण होने पर, आवेदक को ई-रिक्शा चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा।

b. ई-रिक्शा चलाने के लिए निर्देश देने के लिए एक पाठ्यक्रम संलग्न है।

### (C) परिवहन वाहन चलाने का प्राधिकार आवेदक

**लाइसेंसिंग प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करेगा जिसमें वह रहता है और उसके साथ विधिवत भरे हुए निम्नलिखित दस्तावेज/प्रपत्र होंगे।**

- फॉर्म में बैज जारी करने के लिए आवेदन-ATVA
- निवास का प्रमाण
- एक प्रभावी शिक्षार्थी लाइसेंस कॉपी
- आवेदक का पूर्ववर्ती सत्यापन प्रमाण पत्र। (पुलिस विभाग द्वारा जारी)
- सीएमवी नियमों में निर्दिष्ट उपयुक्त शुल्क
- आवेदक को ई-रिक्शा चलाने के लिए एक साल तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। (परिवहन वाहन)



## **(D) ई-रिक्शा के पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज:**

### **(1) नए ई-रिक्शा के लिए**

**आवेदक लाइसेंसिंग प्राधिकारी के पास आवेदन करेगा जिसमें वह रहता है और उसके साथ विधिवत भरे हुए निम्नलिखित दस्तावेज/प्रपत्र होंगे।**

1. फॉर्म -20 में पंजीकरण के लिए आवेदन
2. फॉर्म -21 में बिक्री प्रमाण पत्र (निर्माता / डीलर से)
3. फॉर्म -22 में रोडयोबिलिटी का प्रमाण पत्र, (निर्माता से)
4. निर्माता का चालान
5. डीलर का चालान
6. निवास का प्रमाण
7. बीमा प्रमाण पत्र/कवर नोट
8. फिटनेस का प्रमाण पत्र
9. पुलिस विभाग से वाहन चालक का सत्यापन
10. ई-रिक्शा चलाने के लिए मालिक या उसके चालक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। प्रति ई-रिक्शा ड्राइविंग लाइसेंस पर केवल एक ई-रिक्शा पंजीकृत किया जा सकता है।
11. प्रभावी लोक सेवा वाहन (पीएसवी) बैज ई-रिक्शा चलाने के लिए अधिकृत करता है
12. नियम-81 में विनिर्दिष्ट उचित शुल्क
13. एक बार सड़क कर (यदि लागू हो)

### **(2) फिटनेस**

का प्रमाण पत्र ई-रिक्शा के लिए फिटनेस का प्रमाण पत्र फॉर्म -38 में जारी किया जाएगा जैसा कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में निर्धारित है। निरीक्षण प्राधिकरण परीक्षण एजेंसी द्वारा समर्थित तकनीकी विनिर्देशों में निर्दिष्ट विवरणों के

साथ वाहन को भौतिक रूप से सत्यापित करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह वास्तव में नामित परीक्षण एजेंसी द्वारा अनुमोदित वाहन मॉडल का प्रतिनिधित्व करता है और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन करता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की दिनांक 30 अगस्त, 2016 की एस.ओ.2बी 12 (ई) अधिसूचना के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 66 (परिवहन वाहनों के परमिट से संबंधित) की उप-धारा (1) के प्रावधान उपर्युक्त अधिनियम की धारा 2ए में परिभाषित ई-कार्ट और ई-रिक्शा श्रेणी के किसी भी परिवहन वाहन पर लागू नहीं होंगे। या क्रमशः अपने व्यक्तिगत सामान के साथ माल और यात्रियों की ढुलाई के उद्देश्य से उपयोग किया जाना चाहिए। बशर्ते कि राज्य सरकारें विशिष्ट क्षेत्रों या विशिष्ट सड़कों पर इन वाहनों के चलने पर उचित यातायात कानूनों के तहत प्रतिबंध लगा सकती हैं।

### **(E) ई-रिक्शा चलाने में अनुदेश प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम**

दिनांक 13 जनवरी, 2015 के जीएसआर 27 (ई) के अनुसार, प्रत्येक प्रशिक्षु को ई-रिक्शा चलाने के लिए कम से कम 10 दिनों के प्रशिक्षण से गुजरना आवश्यक है। ई-रिक्शा चलाने में प्रशिक्षुओं के लिए वास्तविक ड्राइविंग घंटे उपर्युक्त के अनुसरण में पांच घंटे से कम नहीं होंगे, ऐसे प्रशिक्षण के दौरान निम्नलिखित विषय वस्तु को कवर किया जाएगा: -



### A. ड्राइविंग सिद्धांत

1. अपने वाहन को जानें	<ul style="list-style-type: none"> <li>कर्षण बैटरी, कर्षण मोटर पावर नियंत्रकों और उनके काम के लिए एक सरल परिचय।</li> </ul>
2. वाहन नियंत्रण <ul style="list-style-type: none"> <li>पैर नियंत्रण</li> <li>हाथ नियंत्रण</li> <li>अन्य नियंत्रण</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>फुट ब्रेक,</li> <li>हैंडल बार, हैंड ब्रेक, पार्किंग ब्रेक, हॉर्न, लाइट, इग्निशन स्विच, स्टार्टर, डिपर और संकेतक,</li> <li>रियर-व्यू मिरर (दाएं और बाएं तरफ)</li> <li>साइड संकेतक</li> </ul>
3. पूर्व ड्राइविंग जांच	<ul style="list-style-type: none"> <li>ड्राइवर की सीट पर बैठने से पहले और</li> <li>चालक की सीट पर बैठने के बाद।</li> </ul>
4. ड्राइव करना शुरू करना	<ul style="list-style-type: none"> <li>हिलने से ठीक पहले सावधानियां।</li> <li>चलते समय, रोकना और ब्रेक लगाना,</li> <li>त्वरक (क्रमिक / अचानक)</li> <li>यातायात की भावना, सड़क की भावना, निर्णय</li> <li>सड़क उपयोगकर्ताओं के अनुसार पार्किंग और स्थिति,</li> <li>रिवर्सिंग</li> </ul>
5. सड़क पर ड्राइविंग	<ul style="list-style-type: none"> <li>अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के अनुसार प्रत्याशा, निर्णय और सड़क की स्थिति।</li> </ul>
6. सड़क पर ड्राइविंग	<ul style="list-style-type: none"> <li>मिरर सिग्नल और पैन्तरेबाज़ी (एमएसएन /) और स्थिति गति और लुक (पीएसएल) दृष्टि का क्षेत्र</li> </ul>
7. युद्धाभ्यास	<ul style="list-style-type: none"> <li>एक विलय और अलग-थलग युद्धाभ्यास-बाएं, दाएं और यू-टर्न में मोड़ना, स्थिर वाहन को ओवरटेक करना, बाईं ओर और दाईं ओर वाहन को स्थानांतरित करना</li> </ul>
8. रिवर्सिंग	<ul style="list-style-type: none"> <li>बैठने की स्थिति में रिवर्स गियर का पता लगाना, गति नियंत्रण।</li> </ul>
9. पार्किंग	<ul style="list-style-type: none"> <li>ऊपर या नीचे की ओर समानांतर, कोणीय, या लंबवत पार्किंग आम त्रुटियां हैं।</li> </ul>
10. सड़क पर ड्राइवर की जिम्मेदारी	<ul style="list-style-type: none"> <li>ड्राइविंग व्यवहार, अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए विचार, शिष्टाचार और प्रतिस्पर्धा, अति-आत्मविश्वास, अधीरता और रक्षात्मक ड्राइविंग</li> </ul>
11. एक अच्छे ड्राइवर के गुण	<ul style="list-style-type: none"> <li>धैर्य, जिम्मेदारी, आत्मविश्वास, प्रत्याशा, एकाग्रता, शिष्टाचार, रक्षात्मक ड्राइविंग, सड़क नियमों / विनियमों का ज्ञान। वाहन नियंत्रण, रखरखाव और सरल तंत्र का ज्ञान।</li> </ul>



12. कुछ वाहनों के लिए प्राथमिकता	<ul style="list-style-type: none"> <li>• आपातकालीन वाहन, दमकल वाहन और एम्बुलेंस</li> </ul>
13. रक्षात्मक ड्राइविंग तकनीक	<ul style="list-style-type: none"> <li>• निर्णय</li> <li>• प्रत्याशा</li> <li>• भागने का मार्ग</li> </ul>
14. रात में ड्राइविंग	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <ul style="list-style-type: none"> <li>○ हेड लाइट स्विच का स्थान</li> <li>○ प्रक्रिया</li> <li>○ दीपक जलाने का दायित्व</li> </ul> </li> <li>• दीपक जलाने पर प्रतिबंध</li> </ul>
15. आपातकालीन युद्धाभ्यास	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ फिसलने, सींग अटकने के मामले में इलाज से बेहतर है रोकथाम</li> <li>○ आग, पहिए निकल रहे हैं</li> <li>○ ब्रेक की विफलता</li> <li>○ सामने का टायर फटना</li> <li>○ वाहन के सामने अचानक बाधा</li> <li>○ ढलान के दौरान ब्रेक विफलता।</li> </ul>
16. विशेष परिस्थितियों के तहत ड्राइविंग	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ गीले मौसम में</li> <li>○ सुबह, शाम और धुंध भरी सड़कों में</li> <li>• घने यातायात में</li> </ul>
<b>B. यातायात शिक्षा</b>	
1. ड्राइविंग नियम	<ul style="list-style-type: none"> <li>• मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 118 के तहत बनाए गए सड़क उपयोग नियम</li> </ul>
2. हाथ के संकेत	<ul style="list-style-type: none"> <li>• रुकें, दाएं मुड़ें, बाएं मुड़ें, ओवरटेकिंग करें, धीमा करें</li> </ul>
3. ट्रैफिक सिग्नल	<ul style="list-style-type: none"> <li>• मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की अनुसूची</li> </ul>
4. स्वचालित प्रकाश संकेतों का परिचय	<ul style="list-style-type: none"> <li>• पीले, हरे और लाल प्रकाश के क्रम को समझना और ये रोशनी क्या बताती है</li> <li>• पीली रोशनी का झपकना</li> <li>• लाल बत्ती की झपकी</li> </ul>
5. सड़क के निशान का परिचय	<ul style="list-style-type: none"> <li>• सफेद रेखा निरंतर और टूटी हुई</li> <li>• पीली रेखा</li> <li>• जेब्रा-क्रॉसिंग को चिह्नित करने वाली लेन</li> <li>• स्टॉप लाइन</li> <li>• पार्किंग अंकन</li> <li>• सड़क एकल की भावना</li> </ul>



6. शहर की सड़कों पर गति नियम	<ul style="list-style-type: none"> <li>• भीड़भाड़ वाली सड़क पर</li> <li>• यातायात जंक्शनों पर (मानव युक्त और मानव रहित)</li> <li>• स्टॉप लाइन पर</li> </ul>
7. आपत्तिजनक स्थानों पर पार्किंग	<p><b>वाहन पार्क न करें</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• एक सड़क क्रॉसिंग पर या उसके पास, एक मोड़, एक पहाड़ी की चोटी या एक कूबड़ युक्त पुल</li> <li>• पैदल मार्ग पर</li> <li>• ट्रैफिक लाइट या पैदल यात्री क्रॉसिंग के पास</li> <li>• एक मुख्य सड़क या तेज यातायात ले जाने वाली सड़क</li> <li>• किसी अन्य पार्क किए गए वाहन के विपरीत या अन्य वाहन के लिए बाधा के रूप में</li> <li>• एक अन्य पार्क किए गए वाहन के साथ</li> <li>• सड़कों पर या उन स्थानों या सड़कों पर जहां टूटी हुई रेखा के साथ या बिना एक निरंतर सफेद रेखा है</li> <li>• बस स्टॉप के पास, स्कूल या अस्पताल के प्रवेश द्वार के पास या यातायात संकेत या परिसर या फायर हाइड्रेंट के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करना</li> <li>• सड़क के गलत किनारे पर</li> <li>• जहां पार्किंग निषिद्ध है</li> <li>• फुटपाथ के किनारे से दूर</li> </ul>
8. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान	मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 112, 113, 121, 122, 123, 125, 126, 131, 132, 134, 185, 186, 194 और 207
9. वाहन पंजीकरण प्लेट के बारे में जानें	राज्य कोड, प्राधिकरण कोड और संख्या
10. ई-रिक्शा चलाने की क्षमता का परीक्षण	<ul style="list-style-type: none"> <li>• केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 15 का उप-नियम (3)।</li> </ul>
11. यातायात द्वीप	<ul style="list-style-type: none"> <li>• गोलचक्कर के प्रकार</li> <li>• Channelisers, median</li> </ul>
12 सड़क जंक्शन	<ul style="list-style-type: none"> <li>• सिद्धांत और प्रकार</li> <li>• टी जंक्शन</li> <li>• Y जंक्शन</li> <li>• नियंत्रित जंक्शन</li> <li>• अनियंत्रित जंक्शन</li> </ul>
13. लेन चयन और लेन अनुशासन	एक उचित लेन में ड्राइव करें और उचित सिग्नल देने के बाद ही बदलें



14. दुर्घटनाएं	<ul style="list-style-type: none"> <li>• दुर्घटनाओं के प्रकार</li> <li>• दुर्घटनाओं का कारण बनता है</li> <li>• निवारक तरीके</li> <li>• दुर्घटनाओं की घटना पर चालक के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों।</li> </ul>
15. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59), केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 और राज्य मोटर वाहन नियमों में महत्वपूर्ण प्रावधान	<ul style="list-style-type: none"> <li>• कुछ परिभाषाएँ</li> <li>• ड्राइविंग लाइसेंस और उसका नवीनीकरण</li> <li>• वाहन में ले जाए जाने वाले प्रमाण पत्र/दस्तावेज और चेकिंग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने चाहिए।</li> <li>• अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित यातायात अपराध और दंड।</li> </ul>
<b>C. वाहन तंत्र और मरम्मत</b>	
1. वाहन का लेआउट	ब्रेक, पार्किंग ब्रेक, कर्षण बैटरी का स्थान, कर्षण मोटर, पावर कंट्रोलर और चार्जर
2. निलंबन प्रणाली	<ul style="list-style-type: none"> <li>• लक्ष्य</li> <li>• स्प्रिंग्स</li> <li>• पत्ती का झरना, बेड़ियाँ और बेड़ियों का पिन</li> <li>• शॉक अवशोषक और इसकी झाड़ियाँ</li> </ul>
3. ब्रेक सिस्टम	<ul style="list-style-type: none"> <li>• लक्ष्य</li> <li>• ब्रेक रखरखाव और समायोजन</li> </ul>
4. विद्युत प्रणाली	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ट्रैक्शन बैटरियन की स्थिति, इलेक्ट्रोलाइट स्तर, बैटरी की चार्जिंग।</li> <li>• बैटरी टर्मिनलों को उचित रूप से लॉक करना और उनकी सफाई करना।</li> <li>• हेड लाइट, रियर लाइट, ब्रेक लाइट, रिवर्स लाइट, संकेतक, हॉर्न</li> <li>• लाइट्स-एम्पीयर मीटर में चार्जिंग रेट को पढ़ने का ज्ञान।</li> </ul>
5. टायर	<ul style="list-style-type: none"> <li>• अनुरक्षण</li> <li>• मुद्रास्फीति के नीचे/अधिक मुद्रास्फीति के प्रभाव</li> <li>• खराब टायरों का प्रभाव</li> </ul>
6. उपकरण क्लस्टर, डैश बोर्ड मीटर।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• उनके उद्देश्य और कार्य</li> </ul>
7. वाहन का रखरखाव और सफाई	<ul style="list-style-type: none"> <li>• निर्माता की सिफारिश के अनुसार चिकना और तेल</li> <li>• सीटें</li> </ul>



- शरीर में दर्द, तेज कोनों / किनारों की सुरक्षा।
- बिजली के तारों का उचित मंडराना और इन्सुलेशन।

#### D. ड्राइवरों के लिए जनसंपर्क और लिंग संवेदीकरण

अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के साथ नैतिक और विनम्र व्यवहार के बारे में कुछ बुनियादी पहलू वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों की सहायता करते हैं। महिलाओं का उचित सम्मान, भद्दी टिप्पणी और अप्रत्याशित इशारा न करना

#### E. आग के खतरे

वाहन पर आग बुझाने और बचाव के तरीके

#### F. वाहन रखरखाव

1. खराब और लापरवाही से ड्राइविंग के कारण वाहन के हिस्सों को प्रभावित करने वाले कारक
2. सामान्य दिन-प्रतिदिन रखरखाव और आवधिक निरीक्षण
3. बैटरी रखरखाव
4. ब्रेक रखरखाव
5. डैश-बोर्ड मीटर का अवलोकन
6. चिकनाई और चिकनाई
7. रोशनी, संकेतकों का रखरखाव

#### G. प्राथमिक चिकित्सा

1. प्राथमिक चिकित्सा का परिचय
2. प्राथमिक चिकित्सा की रूपरेखा
3. शरीर की संरचना और कार्य
4. ड्रेसिंग और पट्टियां
5. श्वसन
6. हड्डियों में
7. चोटें
8. जलते हुए तराजू
9. बेहोशी (असंवेदनशीलता)



# अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

## Q. ई-रिक्शा क्या है?

इलेक्ट्रिक रिक्शा, या ई-रिक्शा, यात्रियों के लिए परिवहन के पसंदीदा साधनों में से एक हैं। वे गैसोलीन, डीजल, या सीएनजी चालित वाहनों के विकल्प के रूप में लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए, वे पर्यावरण के अनुकूल हैं और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को नहीं जोड़ते हैं। आने-जाने की लागत तुलनात्मक रूप से कम और आरामदायक है। और ग्राहक इस उत्पाद का लाभ जेब के अनुकूल मूल्य पर उठा सकते हैं।

## Q. ई-रिक्शा के मुख्य घटक क्या हैं?

भारत में ई-रिक्शा ट्यूबलर चेसिस पर बनाए जाते हैं; बैटरी के जीवन को बढ़ाने के लिए एक शरीर को वजन में हल्का रखा जाता है; और ड्राइव बनाने वाले मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक मोटर, नियंत्रक, हार्नेस, बैटरी और थ्रॉटल हैं।

## Q. ई-रिक्शा के क्या फायदे हैं?

**1. इको-फ्रेंडली** - ई-रिक्शा पेट्रोल या डीजल से चलने वाले वाहनों का सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है क्योंकि वे बैटरी पर संचालित होते हैं। ये रिक्शा धुआं उत्सर्जित नहीं करते हैं और इस प्रकार, बढ़ते वायु प्रदूषण में योगदान नहीं देंगे। इन रिक्शों के कामकाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बैटरियों को प्रभावी ढंग से पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है, इस प्रकार बैटरी निपटान की समस्या हल हो सकती है।

**2. किफायती** - ई-रिक्शा तुलनात्मक रूप से सस्ते हैं और आम आदमी द्वारा आसानी से वहन किए जा सकते हैं। यात्रियों को कम परिवहन शुल्क का भुगतान करना होगा। यह न केवल उपभोक्ताओं के लिए बल्कि मालिकों के लिए भी लागत प्रभावी है। बैटरी को आसानी से घर पर या किसी भी स्थान पर रिचार्ज किया जा सकता है जो उचित वोल्टेज प्रदान करता हो।

**3. ध्वनि प्रदूषण से मुक्त** - ई-रिक्शा ध्वनि प्रदूषण पैदा करने से मुक्त हैं क्योंकि वे किसी भी ध्वनि का उत्सर्जन नहीं करते हैं। यात्रियों को एक चिकनी और आरामदायक सवारी मिल सकती है।

**4. आजीविका** - ई-रिक्शा आम के साथ-साथ अनपढ़ लोगों के लिए आजीविका का साधन प्रदान करते हैं। ज्यादा पैसा लगाए बिना, ई-रिक्शा चालक अच्छी आजीविका कमा सकते हैं।

**5. सुरक्षा** - अन्य ईंधन संचालित वाहनों की तुलना में ई-रिक्शा में कम जोखिम होता है। वे कम दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं क्योंकि वे ऑटोरिक्शा की तुलना में धीमे और हल्के होते हैं। ईंधन संचालित वाहनों के मामले में विस्फोट की संभावना है।

**6. आसान रखरखाव** - जैसा कि वे बिजली का उपयोग करते हैं, उन्हें इंजन संचालित करने के लिए ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। ई-रिक्शा एक इंजन और गियरबॉक्स से मुक्त हैं, और इस प्रकार, रखरखाव का बोझ कम हो जाता है। इन रिक्शों में इस्तेमाल होने वाली मोटर छोटी होती है, और इसके नीचे बैटरी रखी जाती है। इसलिए, उन्हें बनाए रखना काफी आसान है।

## Q. महिलाओं के लिए ई-रिक्शा प्रशिक्षण कार्यक्रम क्या है?

1. महिलाओं के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) ई-रिक्शा प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य बिना ज्ञान वाले लोगों को व्यवसाय का ज्ञान प्रदान करना और उन्हें जीवन में सफल बनाना है।
2. उद्यमिता विकास कार्यक्रम का उद्देश्य आस-पास के क्षेत्रों और उनके लिंक के क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों के उपयोग द्वारा छोटे, स्थानीय उद्योगों की स्थापना के लिए लोगों को प्रेरणा प्रदान करना है।



3. ई-रिक्शा प्रशिक्षण का उद्देश्य स्व-रोजगार के बारे में विस्तृत ज्ञान और जानकारी का प्रसार करना है।
4. अपनी आजीविका शुरू करने के बाद जीवन स्थिरता में समर्थन करना।

**Q. वे कौन से विनियम हैं जो ई-रिक्शा को पूरे भारत में शहरी गतिशीलता को बदलने में मदद कर सकते हैं?**

मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन, या पैराट्रांजिट के सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले रूपों में से एक के रूप में - सेवाएं जो उपयोगकर्ताओं को बसों या मेट्रो जैसी जन परिवहन प्रणालियों से जोड़ती हैं, ऑटो-रिक्शा भारतीय शहरों में सर्वव्यापी हैं। हालांकि, इलेक्ट्रिक रिक्शा (ई-रिक्शा), 2011 में एक और भी सस्ता विकल्प के रूप में उभरा। ई-रिक्शा रिक्शा के साथ संयुक्त मोटरसाइकिल के समान हैं, और भारत के कई निवासियों को कम लागत वाली गतिशीलता प्रदान करने की अपार क्षमता रखते हैं। हालांकि, शहरों को सुरक्षा नियम बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए उचित बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की आवश्यकता है कि यह परिवहन मोड एक साथ सस्ती और सुरक्षित है।

ई-रिक्शा ऑटो-रिक्शा की तुलना में खरीदने और संचालित करने के लिए सस्ता है, और ईंधन की बढ़ती कीमतों ने उन्हें पेट्रोल या प्राकृतिक गैस क्यू पर चलने वाले वाहनों की तुलना में और भी आकर्षक बना दिया है

**Q. ई-रिक्शा सुरक्षा चिंताओं का कारण क्यों बनते हैं?**

भारतीय सड़कों पर ई-रिक्शा के तेजी से उभरने के साथ-साथ उनके उपयोग के विनियमन की कमी ने उन्हें काफी सुरक्षा चिंता का विषय बना दिया है। ई-रिक्शा

आमतौर पर 6-8 यात्रियों को ले जाते हैं, हालांकि उनके एल्यूमीनियम बॉडी को केवल 4-6 यात्रियों को रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके अतिरिक्त, ब्रेकिंग उपकरण को किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जांच नहीं की गई है, जिससे यह अविश्वसनीय हो गया है। ई-रिक्शा की तेज टर्निंग क्षमता के साथ-साथ उनकी तेज गति, टर्न लेते समय उनकी स्थिरता पर भी सवाल उठाती है।

ई-रिक्शा इलेक्ट्रिक बैटरी पर चलते हैं और उन्हें चार्ज करने की आवश्यकता होती है, जो पहले से ही अतिप्रयुक्त बिजली ग्रिड पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। ई-रिक्शा को चार्ज होने में लगभग 6 से 8 घंटे लगते हैं, और दर्जनों ई-रिक्शा अक्सर सीमित स्ट्रीट चार्जिंग स्टेशनों पर लड़ते हैं।

**Q. ड्राइवरों के लिए सड़क सुरक्षा नियम क्या हैं?**

यहां ई-रिक्शा चालकों के लिए यातायात सुरक्षा नियम दिए गए हैं

**Q. ट्रैफिक लाइट नियमों को अनदेखा न करें ?**

ट्रैफिक लाइट्स को चौराहों, चौराहों और जेब्रा क्रॉसिंग पर सुचारू यातायात प्रवाह को सक्षम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ट्रैफिक सिग्नल नियमों का पालन करना यह सुनिश्चित करता है कि कोई या न्यूनतम सड़क दुर्घटनाएं न हों। एक वाहन चालक के रूप में, हमेशा लाल बत्ती पर रुकें। इसके अलावा, जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल चलने वालों के लिए रास्ता दें। चौराहे को तभी पार करें जब रोशनी हरी हो।

**2. कभी शराब पीकर गाड़ी न चलाएं**

और शराब पीकर गाड़ी चलाना सड़क पर दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में से एक है।



कभी भी नशे की हालत में वाहन न चलाएं। यह न केवल आपको बल्कि अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को भी नुकसान पहुंचाता है। शराब आपकी निर्णय लेने की क्षमताओं को बाधित कर सकती है। इसलिए, वाहन पर नियंत्रण खोने की संभावना अधिक है। इसलिए अगर आपने शराब का सेवन किया है तो हर कीमत पर गाड़ी चलाने से बचें।

### 3. ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करें ?

मोबाइल फोन ड्राइविंग करते समय सबसे बड़े विकर्षणों में से एक हो सकता है। यह आपको सड़क से आपकी आंखें हटा देता है, और ड्राइविंग करते समय ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। जब आप वाहन के पहिये के पीछे हों तो कभी भी फोन पर बात या पाठ न करें।

### 4. गति सीमा का पालन करें

चाहे आप ड्राइव कर रहे हों या नहीं, हमेशा उस विशेष सड़क की गति सीमा का पालन करें। कभी भी ओवरस्पीड न करें, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप आप वाहन पर नियंत्रण खो सकते हैं और दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। हमेशा गति सीमा साइन बोर्डों पर ध्यान दें, खासकर राजमार्गों पर।

### 5. "नो एंट्री" ज़ोन नियमों का पालन करें

कभी भी "नो एंट्री" ज़ोन में प्रवेश न करें, क्योंकि इससे गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। ऐसे ज़ोन यातायात के एकतरफा आवागमन के लिए बनाए जाते हैं। यदि आप उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो आप आने वाले ट्रैफ़िक से टकरा सकते हैं। इसलिए, कभी भी "नो एंट्री" ज़ोन में अपने वाहन को न चलाएं।

### 6. मोड़ संकेतों का उपयोग करें

सड़क पर अपने अगले पैतरेबाज़ी को इंगित करने के लिए टर्न सिग्नल (संकेतक रोशनी) का उपयोग करना बेहद महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यदि आप अगले चौराहे पर दाईं ओर मुड़ना चाहते हैं, तो पहले से टर्न सिग्नल का उपयोग करें और फिर वाहन को धीमा कर दें। यह अनावश्यक भ्रम और टकराव से बचने में मदद करता है।

ड्राइवरों के लिए टर्न सिग्नल महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे टकराव के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। इसलिए, सड़क पर सुरक्षित रहने के लिए हमेशा टर्न सिग्नल संकेतकों का उपयोग करें।

### 7. चौराहों पर धीमी गति से गाड़ी न चलाएं

जब आप चौराहे के करीब पहुंचने वाले हों। वाहन को धीमा करें, दोनों दिशाओं में देखें, और फिर चौराहे को पार करें।

### 8. आपातकालीन वाहनों के लिए रास्ता दें

हमेशा आपातकालीन वाहनों जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड ट्रक या पुलिस वाहनों के लिए रास्ता दें।

### 9. लेन नियमों का पालन करें

लेन अनुशासन का पालन करना महत्वपूर्ण है, खासकर यातायात-भीड़भाड़ वाली सड़कों पर। अचानक लेन परिवर्तन न करें। यदि आप लेन बदलना चाहते हैं, तो टर्न सिग्नल का उपयोग करें और सुरक्षित होने पर पैतरेबाज़ी को पूरा करें। इसके अलावा, वाहनों को बाईं ओर से ओवरटेक करने से बचें और यदि आपको किसी वाहन को ओवरटेक करने की आवश्यकता है तो दाईं ओर की लेन से चिपके रहें।



## Q. यातायात नियमों का महत्व क्या है?

भारत सड़क पर लाखों वाहनों वाला देश है, और यातायात के सुचारू आवागमन के लिए यातायात नियम और विनियम केंद्र में हैं। सड़क पर वाहनों की भारी संख्या के कारण भारत में यातायात नियमों का महत्व बढ़ जाता है। यहां कारण दिए गए हैं कि भारत में यातायात नियम और विनियम इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं।

1. यातायात और सड़क सुरक्षा नियम यातायात के सुचारू प्रवाह में सहायता करते हैं।
2. यातायात नियम और विनियम पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों, ई-रिक्शा और मोटर चालकों के लिए सड़कों को सुरक्षित बनाते हैं।
3. यातायात नियम सड़क दुर्घटनाओं और सड़क पर टकराव के कारण होने वाली मौतों को कम करने में मदद करते हैं।
4. यह सड़क उपयोगकर्ताओं को ड्राइविंग या सड़क पर चलते समय अनुशासित रहने के लिए प्रोत्साहित करता है।
5. यातायात नियम सड़क पर अवैध गतिविधियों (जैसे रेसिंग) पर अंकुश लगाते हैं।
6. यातायात नियम सड़क पर वाहनों के अनधिकृत उपयोग या दुरुपयोग की जांच और कम करने में सहायता करते हैं।
7. वे खतरनाक ड्राइविंग और सड़क पर ओवर स्पीडिंग जैसी प्रथाओं को रोकने में मदद करते हैं।

## Q. ट्रैफिक लाइट का क्या महत्व है?

ट्रैफिक लाइट का उपयोग ड्राइवरों और पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और यातायात के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। लाइव ट्रैफिक स्थितियों के अनुरूप ट्रैफिक सिग्नल के समय में उचित बदलाव की अनुमति देने के लिए सीसीटीवी और ट्रैफिक प्रबंधन

प्रणालियों का उपयोग करके यातायात की स्थिति की निगरानी की जाती है।

## Q. तीन मुख्य यातायात सिग्नल क्या हैं?

**ट्रैफिक सिग्नल में तीन रंग होते हैं:  
लाल, पीला और हरा।**

1. जब सिग्नल लाल हो जाता है, तो आपको रुकना होगा,
2. जब यह पीला हो जाता है, तो धीमा हो जाता है और प्रतीक्षा करें,
3. जब यह हरा हो जाए, तो जाएं

## Q. विभिन्न प्रकार के सड़क चिह्न और उनके अर्थ क्या हैं?

सड़क चिह्नों का परिचय

- **टूटी हुई व्हाइट लाइन:** - भारतीय सड़कों पर सबसे बुनियादी निशान, इसका मतलब है कि आप लेन बदल सकते हैं और आपको वाहन से आगे निकलने या यू-टर्न लेने की अनुमति है।
- **ठोस सफेद रेखा:** - मूल रूप से रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों पर देखा जाता है, इनका अर्थ है कि आपको अपने सामने कार से आगे निकलने की अनुमति नहीं है और आपको कतार में ड्राइव करना चाहिए।
- **एकल ठोस पीली रेखा:** - उन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है जहां दृश्यता कम है, इसका मतलब है कि आप किसी भी वाहन से आगे निकलने के लिए नहीं हैं और आपको अपनी तरफ ड्राइव करना चाहिए।
- **डबल सॉलिड येलो लाइनें:** आमतौर पर खतरनाक सड़कों या 2 लेन की सड़कों पर उपयोग किया जाता है, यह किसी को भी विपरीत दिशा में जाने वाले यातायात के साथ लेन में पार करने से सख्ती से रोकता है।



- **स्टॉप लाइन:** - यह पैदल यात्री क्रॉसिंग से पहले चिह्नित किया जाता है और समय सीमा निर्धारित करता है जिस पर कारों को ट्रैफिक सिग्नल से पहले रुकना चाहिए।

### Q. ड्राइविंग लाइसेंस क्या है?

एक ड्राइविंग लाइसेंस एक दस्तावेज है जो किसी को सड़क पर ड्राइव करने की अनुमति देता है। इस दस्तावेज का स्वामित्व प्रमाणित करता है कि एक व्यक्ति सड़क कानूनों, संकेतों से अवगत है और वाहन चलाने में सक्षम है। 1988 के मोटर वाहन अधिनियम के तहत, वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना कानून द्वारा अनिवार्य है।

### Q. ड्राइविंग लाइसेंस क्यों जरूरी है?

भारत में सार्वजनिक सड़क मार्गों पर कानूनी रूप से दो या चार पहिया वाहन संचालित करने के लिए एक भारतीय ड्राइवर के लाइसेंस की आवश्यकता होती है। भारत में मोटर वाहन के किसी भी रूप को संचालित करने के लिए, एक व्यक्ति को पहले एक शिक्षार्थी का लाइसेंस प्राप्त करना होगा। ड्राइव करने का तरीका जानने के लिए, एक लर्नर लाइसेंस जारी किया जाता है।

### Q. ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची है:

- आयु प्रमाण (नीचे दिए गए दस्तावेजों में से कोई एक)
- जन्म प्रमाण पत्र।
- पैन कार्ड।
- पासपोर्ट।
- 10 वीं कक्षा की मार्कशीट।
- किसी भी कक्षा के लिए किसी भी स्कूल से स्थानांतरण प्रमाण पत्र जिस पर जन्म तिथि मुद्रित होती है।

### Q. ट्रैक्शन कंट्रोल किसे कहते हैं?

ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (टीसीएस) यह पता लगाता है कि कार के पहियों के बीच कर्षण का नुकसान

होता है या नहीं। एक पहिया की पहचान करने पर जो सड़क पर अपनी पकड़ खो रहा है, सिस्टम स्वचालित रूप से उस व्यक्तिगत पहिया पर ब्रेक लगाता है या कार की इंजन शक्ति को फिसलने वाले पहिये में काट देता है।

### Q. कर्षण मोटर का महत्व क्या है?

कर्षण मोटर्स बिजली द्वारा संचालित होते हैं और ट्रेन के पहियों को घुमाने के लिए शक्ति उत्पन्न करते हैं। कर्षण मोटर्स द्वारा उत्पादित टर्निंग फोर्स ड्राइविंग गियर यूनिट और एक्सल के माध्यम से पहियों पर प्रेषित होता है। कर्षण मोटर्स आमतौर पर ट्रकों में लगाए जाते हैं जहां पहियों को रखा जाता है।

### Q. कर्षण मोटर नियंत्रक क्या है?

एक कर्षण मोटर नियंत्रक परिपथ और विधि जिसमें मोटर को विद्युत धारा की आपूर्ति करने वाले इलेक्ट्रॉनिक स्विच को चयनित अधिकतम और न्यूनतम सीमाओं के बीच लोड धारा के फलन के रूप में नियंत्रित किया जाता है

### Q. महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के संबंध में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में क्या बदलाव आवश्यक हैं?

"हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में खामियों को संबोधित करना: महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को आगे बढ़ाना"

यह स्पष्ट है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में कुछ खामियां हैं, जिनमें संशोधन की आवश्यकता है, अगर यह महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के बारे में है। 2005 का संशोधन वास्तव में पुरानी व्यवस्था से एक अच्छा बदलाव था, जो केवल पुरुषों को विरासत के अधिकारों की अनुमति देता था,

लेकिन अब यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधन की अगली कड़ी का समय है कि उन खामियों को इस रोशनी में भरा जाना चाहिए जिन्हें पहले



पितृसत्ता को बढ़ावा देने के लिए नहीं माना गया था। इसके अलावा, इस बार सरकार को कानून में एक बार फिर संशोधन होने के बाद जागरूकता

नहीं फैलाने की वही गलती नहीं दोहरानी चाहिए। महिलाओं को यह जानने की जरूरत है कि यह बिल्कुल सही और उचित है यदि वे अपने पिता और पूर्वजों की अंतर्निहित संपत्ति का दावा करते हैं। पितृसत्ता को तभी खारिज किया जा सकता है जब महिलाएं अपने अधिकारों का सम्मान करना शुरू कर दें और बिना किसी आशंका के उन पर दावा करने के लिए सामने आएँ।





# मुद्रा ऋण क्या है?

मुद्रा ऋण (MUDRA Loan) एक सरकारी योजना है जिसके तहत भारतीय सरकार माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजिज को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इस योजना के माध्यम से छोटे व्यापारी, उद्यमियों, और लघु उद्यमियों को वित्तीय संसाधनों तक पहुंच के अवसर प्रदान किया जाता है ताकि वे अपने व्यवसाय को बढ़ावा दें और आजीविका की सुरक्षा कर सकें।

## मुद्रा ऋण का उद्देश्य:

स्वरोजगार को बढ़ावा देना।

छोटे और मध्यम आय वर्ग को आर्थिक समृद्धि प्रदान करना।

भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण में मदद करना।

## मुद्रा ऋण को कौन ले सकता है?

इस योजना के तहत निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों या उद्यमियों को ऋण प्राप्त करने का अधिकार होता है:

शिशु विकास ऋण (Shishu Loan): इसमें उद्यमियों को 50,000 रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है।

किशोर विकास ऋण (Kishor Loan): इसमें उद्यमियों को 50,000 से 5 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है।

तरुण विकास ऋण (Tarun Loan): इसमें उद्यमियों को 5 लाख से 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है।

## मुद्रा ऋण कैसे प्राप्त करें?

मुद्रा ऋण प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम अनुसरण करें:

बैंक या वित्तीय संस्था का चयन: अपने नजदीकी बैंक या वित्तीय संस्था में जाएं और वहां के अधिकारियों से मुद्रा ऋण के लिए आवेदन करें।

ऋण की जांच और आवश्यक दस्तावेज़ी साक्षात्कार: आवेदन के समय बैंक या वित्तीय संस्था आपके दस्तावेज़ों की जांच करेगी और यदि सभी जानकारी सही और पूरी है, तो आपको आवेदन स्वीकृति के लिए बुलाया जाएगा।

ऋण अनुदान: आपके आवेदन को स्वीकार किया जाने के बाद, ऋण की रकम आपके खाते में जमा कर दी जाएगी।

मुद्रा ऋण के लिए आवेदन करने के लिए उद्यमियों को अपने नजदीकी बैंक शाखा या वित्तीय संस्था से संपर्क करना चाहिए और उन्हें योजना के तहत अपने व्यवसाय या उद्यम की विवरण प्रदान करना चाहिए। ऋण की स्वीकृति के बाद ऋण राशि आपके खाते में जमा कर दी जाती है और आप अपने व्यवसाय को विकसित और अपनी आजीविका को सुरक्षित करने के लिए उपयुक्त रूप से उपयोग कर सकते हैं।

















ट्रिन.. ट्रिन, हैलो में आपकी उद्यम सरखी बोल रही हूँ.....

महिलायें आर्थिक रूप से सक्षम हो सकें वह अपना कोई उद्यम शुरू कर सकें जिसके लिए उनको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। बहुत बार यह देखा गया है कि महिलाओं को सही मार्गदर्शन और दिशानिर्देश की आवश्यकता होती है। इसके लिए यू.पी. इण्डस्ट्रियल कन्सल्टेंट्स लिमिटेड (यूपीकॉन) द्वारा महिलाओं को सही मार्गदर्शन, दिशानिर्देश और प्रोत्साहन देने के लिए एक हेल्पलाइन नम्बर जारी किया जा रहा है। यह हेल्पलाइन सुबह के 10:00 बजे से शाम के 6:00 बजे तक काम करेगी। यानि कि आप किसी भी समय अपनी उद्यम सरखी को कॉल करके अपनी शंकाओं का समाधान कर सकती हैं।

अगर आप खुद या महिला समूह के माध्यम से कोई काम या उद्यम शुरू करना चाहती है, आपके मन में बहुत सारे सवाल और शंकाएं होंगी, जैसे कितना खर्चा होगा? बिज़नेस प्लान कैसे बनायें? कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा? निवेश करने के लिए धन कहाँ से आयेगा? सस्ता लोन कैसे प्राप्त करें? आदि... तो घबराएं नहीं, फोन उठायें और अपनी उद्यम सरखी से किसी भी समय बात करें।

होगा सभी शंकाओं का समाधान  
मिलेगा जब उद्यम सरखी का साथ

**उद्यम सरखी हेल्पलाइन नं.  
1800 212 6844**

Organised By:



**U. P. Industrial Consultants Limited**

**Registered Office**

5th Floor, Kabir Bhawan, G. T. Road, Kanpur– 208002, Uttar Pradesh, India

**Corporate Office**

7th Floor, Rohtas Summit Building, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow, Uttar Pradesh– 226 010

URL: [www.upicon.in](http://www.upicon.in) | E-mail: [info@upicon.in](mailto:info@upicon.in) | Phone: 0522-4233727